

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- प.7 (535)परि/नियम/मु./2014 / 983

जयपुर, दिनांक :-
20-01-2016

कार्यालय आदेश.....02/2016

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125C के उपनियम (1) में 13 अथवा अधिक यात्री क्षमता वाले (चालक के अतिरिक्त) यात्री वाहनों के 1 अक्टूबर 2014 से पूर्व विद्यमान मॉडल हेतु बॉडी बिल्डिंग का परीक्षण एवं अनुमोदन AIS:052:2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना का प्रावधान किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.01.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा 13 अथवा अधिक यात्री क्षमता वाले (चालक के अतिरिक्त) यात्री वाहनों के 1 अक्टूबर 2014 से पूर्व विद्यमान मॉडल हेतु बॉडी बिल्डिंग का परीक्षण एवं अनुमोदन से संबंधित उक्त नियम 125C एवं तत्संबंधी संशोधित प्ररूप 22A II की क्रियान्विति में दिनांक 01.04.2016 अथवा अग्रिम आदेशों तक शिथिलता प्रदान की गई है।

अतः 1 अक्टूबर 2014 से पूर्व विद्यमान मॉडल्स की यात्री वाहनों का पंजीयन पूर्व प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा।


(गायत्री सठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :

क्रमांक :- प.7 (535)परि/नियम/मु./2014 / 984-88

जयपुर, दिनांक :- 20-1-16

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली ।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)